न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 58/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. बनेसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बामनवास कांकड तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.

..... अपीलाण्ट अप्रार्थी

बनाम

1. पृथ्वी सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी बामनवास कांकड तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.

..... रैस्पोडेण्ट प्राथी

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. श्री रामबहादुर सिंह तंवर, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

::: निर्णय ::: **दिनांक :– 31.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 18.06.2018 प्रा0 पत्र संख्या 03/28/2013 बउनवान पृथ्वीसिंह बनाम बनेसिंह के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी में इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वह आराजी खसरा नम्बर 572 रकबा 0.28 हैक्टर एवं 570 रकबा 0.19 हैक्टर वाके ग्राम बामनवास कांकड़ तहसील थानागाजी जिला अलवर का खातेदार है। प्रार्थी अपनी आराजी में पहुॅच के लिए आराजी खसरा नम्बर 576 रकबा 0.72 है0 एवं 569 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम बामनवास कांकड़ तहसील थानागाजी जिला अलवर, जिसका खातेदार अप्रार्थी बनेसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत है, में से 12 फुट चौड़े कच्चे मार्ग का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उसके पास इसके अलावा उसके स्वयं की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौके पर नहीं है। प्रार्थी ने उक्त कच्चे मार्ग को राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित करवाने की अनुज्ञा लेने की प्रार्थना मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी में की। उक्त सम्बन्ध में मातहत अदालत ने वैकल्पिक रास्ते बाबत तहसीलदार थानागाजी से रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार थानागाजी द्वारा पटवारी हल्का बामनवास कांकड से जांच रिपोर्ट करवाकर मातहत अदालत को बताया गया कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुॅचने के लिए अन्य कोई रास्ता चालू नहीं है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी ने दिनांक 18.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प बामनवास में

अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनकर प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' स्वीकार करते हुए प्रार्थी के खातेदारी के आ.ख.नं. 570 रकबा 0.19 है0, 572 रकबा 0.28 है0 वाकै ग्राम बामनवास काकॅड पर पहुॅचने के लिए अप्रार्थी की खातेदारी के आ.ख.नं. 576 रकबा 0.72 है0 में से पश्चिमी डोल के सहारे लगता हुआ लम्बाई 80 मीटर X चौड़ाई 3 मीटर कुल रकबा 0. 03 है0 तथा ख.नं. 569 रकबा 0.23 है0 के उत्तरी डोल के सहारे सहारे लगता हुआ लम्बाई 22 मीटर X चौड़ाई 3 मीटर कुल रकबा 0.01 है0 इस प्रकार कुल रकबा 0.04 है0 वाकै ग्राम बामनवास कांकड़ को रास्ते हेतु अधिगृहित करने के आदेश दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी द्वारा अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निर्णय दिनांक 18.06.2018 को अपीलाण्ट स्वयं कैम्प कोर्ट में उपस्थित था इसके बावजूद भी अपीलाण्ट अप्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज करवाकर इकतरफा आलोच्य निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने जब से खसरा नं. 572 व 570 जर्ये बयनामा खरीद की है, तब से ही तरफ दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम ग्राम बामनवास से कोठी तक प्रार्थी के स्वयं के कुऐं तक करीब 10 फुट चौडा आम रास्ता जारी है, से तरफ उत्तर की ओर खसरा नंबर 563 जो स्वयं प्रार्थी का है एवं खसरा नंबर 562 के मध्य से होते हुए खसरा नंबर 568 में बने हुए चाह तक रास्ता कच्चा करीब 10 फुट चोड़ा जारी है जिससे ट्रेक्टर वगैराह आते जाते है जिस रास्ता से ही प्रार्थी स्वयं के साझे के चाह खसरा नंबर 568 तक जाकर फिर उसकी गूण से होकर तरफ उत्तर पूर्व की ओर खसरा नंबर 570 जो स्वयं प्रार्थी का है, से अपने ट्रेक्टर हल बैल वगैराह लाता ले जाता है और पैदल भी आवागमन करता है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी मुख्य बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का बामनवास कांकड द्वारा गलत जांच रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट ने जब से खसरा नं. 572 व 570 जर्ये बयनामा खरीद की है, तब से ही खसरा नंबरान 563, 562 एवं 568 से अपने ट्रेक्टर हल बैल वगैराह लाता ले जाता है। प्रार्थी रेस्पोडेण्ट उनके हिस्से की खातेदारी आराजी में से होकर आ जा सकता है। अधिवक्ता अपीलांट स्वयं तहत अदालत में हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता था। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 17.10.17 में एवं तहसीलदार थानागाजी रिपोर्ट दिनांक 30.10.17 पर ऐतराज एवं पुनः मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र भी पेश किया था तथा पत्रावली 09.03.18 को इस हेतु जवाब–बहस में थी। बिना जवाब–बहस व ऐतराज प्रार्थना–पत्र पर निर्णय किए ही सीधा ही रास्ता कायम करने का आदेश दिया गया, जिसको खारिज किया जाना न्यायहित में है। इसलिए रेस्पोडेण्ट को अपीलाण्ट की आराजी में से रास्ता दिया जाना गलत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.06.2018 अपास्त किया जाना आवश्यक है जिसे अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने जवाब बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट अपनी आराजी खसरा नं. 572 व 570 में पहुॅच के लिए आराजी खसरा नम्बर 576 व 569 में से 12 फुट चौड़े कच्चे मार्ग का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। यह रास्ता प्रार्थी रेस्पो. के बुजुर्गों के समय से यानि कदीमी से विद्यमान और जारी है। रेस्पोडेण्ट के पास इसके अलावा उसके

स्वयं की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौके पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाया जावें।

हमने अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 18.06.2018 का अवलोकन किया। साथ में अपील मीमो के जिमन नम्बर 10 के अनुसार संबंधित खसरा नम्बरान का नक्शा ट्रेस व जमाबंदी का अवलोकन किया।

नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी के अनुसार खसरा नं. 563 का खातेदार रेस्पोडेण्ट पृथ्वी सिंह पुत्र नारायण सिंह एवं खसरा नं. 568 का रेस्पो. सहखातेदार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 ए नियम 69 के अनुसार प्रस्तावित रास्ते के लिए स्वयं उपखंड अधिकारी या कम से कम भू–अभिलेख निरीक्षक से नीचे का कार्मिक रिपोर्ट करने के लिए अधिकृत नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में रिपोर्ट न तो स्वयं उपखंड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा और न ही भ–ूअभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई, बल्कि पटवारी द्वारा तैयार की गई है जो विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। साथ ही तहत अदालत द्वारा अप्रार्थी के प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर भी कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। लोक अदालत में केवल 'सहमति' से ही निर्णय निस्तारित किए जा सकते हैं, इस विधिक प्रावधान की भी पालना भी त्रुटि कारित की है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 18.06.2018 को खारिज किया जाता है। पत्रावली अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी थानागाजी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलाण्ट द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत आक्षेप रिपोर्ट का निस्तारण करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 211 ए नियम 68 व 69 की विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए, पुनः विधिपूर्वक सुनवाई का अवसर देते हुए नए सिरे से निर्णय पारित करें। पीठासीन अधिकारी अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा गलत मौका रिपोर्ट किये जाने के कारण उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही में लाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 31.3.21
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर